खण्डः 3, अंकः 10 अक्तूबर 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिता
विचार एवं व्यवहार

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिताः विचार एवं व्यवहार

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. सांप्रदायिकता तथा राजनीतिक अवसरवादिताः एक अवलोकन 1–4

– निशा

2. समाज में सामाजिक अपराध एवं राजनीतिक अवसरवादिता का बढ़ता स्तर 5–9

– आयुष्मान शर्मा

3. सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिताः हाथरस घटना के संदर्भ में 10–12

– अजय कुमार शाह

4. बच्चों एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराधः असहनशीलता एंव असहिष्णुता 13–15

– सृष्टि

5. बढ़ते सामाजिक अपराध में राजनीतिक दलों की भूमिकाः सुधार की इच्छाशक्ति या अवसरवादिता? 16–18

– प्रियंका बारगल

– हितेन्द्र बारगल

6. राजनीति–अपराध गठजोड – विजय प्रकाश सिंह 19–22

7. दलितों के विरुद्ध सामाजिक अपराध में राजनीतिक अवसरवादिता 23–27

– राजिन्दर कुमार

8. अनैतिक मूल्यों की राजनीतिः एक प्रारूप – राखी 28–31

सम्पादकीय

निरंतरता, नियमितता एवं निर्णायकता पर आधारित विकासशील राज्य शोध केन्द्र की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण अगस्त 2018 से समसामयिक विषयों पर अपने पाठकों के साथ एक अटूट संबंध बनाए रखने में अग्रसर रही है। निरंतरता की इस कड़ी में संश्लेषण के इस 27वें अंक तथा वर्ष 2020 के दशम अंक को समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए हमें अत्याधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है।

स्वतंत्र भारत की चुनावी राजनीति में धनबल एवं बाहुबल के प्रभाव ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। मतदाता जागरुकता, मीडिया प्रबलता तथा चुनाव आयोग की सक्रियता के पश्चात भी भारत के चुनावी लोकतंत्र में धन एवं अपराध की भूमिका गौण नहीं हो सकी है। समसामयिक भारत में अपराध एवं राजनीति के मध्य गठजोड़ के नए आयाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। 21वीं शताब्दी में गठबंधन राजनीति में दलों के घटते जनाधार ने इस गठजोड़ को ओर अधिक उजागर करने का भी प्रयास किया है।

केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार (राजग) की दूसरी पारी की अभूतपूर्व सफलता के पश्चात अपराध के राजनीतिकरण का एक नवीन स्वरुप उजागर हुआ है। लव जेहाद अर्थात स्नेह युद्ध की एकाकी घटनाएँ धीरे–धीरे समाज में अपराध के विभिध रुप में योजनाबद्ध प्रकार से प्रकट की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं भारत के कुछ अन्य भागों में सामाजिक हिंसा एवं अपराध की एकल घटनाओं का दलों द्वारा राजनीतिक अवसरवादिता के रुप में प्रयोग किया जाने लगा है। पीडित परिवारों को सहानुभूति के नाम पर कुछ केंद्रिय एवं राज्यीय दलों ने वैयक्तिक एवं सामाजिक अपराधों को केंद्र सरकार की विफलता के मापदंड से विश्लेषित करना आरंभ कर दिया है।

वर्ष 2020 का अक्तूबर माह उत्तर प्रदेश में हाथरस, उन्नाव, इत्यिादि स्थानों पर पारिवारिक हिंसा का सामाजिक हिंसा में परिवर्तनीयकरण तथा उसका राजनीतिकरण समकालीन भारतीय राजनीति के एक नवीन आयाम को प्रस्तुत करता है। विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिताः विचार एवं व्यवहार' विषय पर लेख आमंत्रित किये। आठ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक

होने के साथ–साथ समकालीन भारतीय राजनीति में सामाजिक अपराध, राजनीतिक हिंसा एवं राजनीतिकरण के परिवर्तनीय आयामों को भी संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को भी इंगित करते हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस अक्तूबर माह के दशम अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम नवम्बर माह के अपने ग्यारहवें समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 25 दिसम्बर 2020

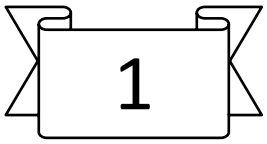

सांप्रदायिकता तथा राजनीतिक अवसरवादिताः एक अवलोकन

निशा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

यह लेख दो भाग में है। पहले भाग में राजनीति और अवरवादिता के अर्थ को समझा गया है एवं राजनीति की प्राचीन व वर्तमान समझ के साथ अवरवादिता को जोडकर समझने का प्रयास किया गया है तथा दूसरे भाग में सामाज में व्याप्त बहुत से अपराधों की संक्षिप्त चर्चा की गई है एवं सांप्रदायिक जहर फैला कर कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाता है को बताया गया है। राजनीतिक अवसरवादिता को समझने से पहले हमें इन दोनों शब्दों के अर्थ को अलग–अलग समझना जरूरी है तभी हम संयुक्त रूप से प्रयोग में आने वाले राजनीतिक अवसरवादिता को स्पष्टता से समझ सकते हैं या उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। राजनीति शब्द का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष से है, यह संघर्ष एक राज्य क भौगोलिक सीमाओं के अंदर विभिन्न समूहों के अंतर्गत देखा जा सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति का संघर्ष विभिन्न राष्ट्रों या देशों के बीच चलता रहता है।

राजनीतिक शब्द का दूसरा अर्थ यूनानी भाषा के द्वारा भी समझा जा सकता है, राजनीति शब्द को अंग्रेजी में 'पॉलिटिक्स' कहा जाता है जिसका यूनानी अर्थ समुदाय कल्याण या समाज कल्याण से है। यूनान में राजनीति शब्द को सकारात्मक भाव से समझा जाता था जहां नागरिकों के उत्तम जीवन या सार्वजनिक कल्याण के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता था। जबकि वर्तमान समय में राजनीति को नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। क्योंकि राजनीतिक दल या राजनेता नागरिक या देश के विकास में कार्य न करके सत्ता पर काबिज होने के उद्धेश्य से कार्य करते हैं। अफसरवाद के अर्थ को समझने के लिए हमें आचारनीति को समझना होगा क्योंकि अवसरवादिता बिल्कुल इसक विपरीत अर्थ रखती हैं। आचारनीति से तात्पर्य है क्या उचित है या क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है जैसे मूल्यों से जुड़ी है जबकि अवसरवादिता शब्द इन नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके व्यक्तिगत लाभ या फायदा या निजी हित की बात करती है।

अतः राजनीतिक अवसरवादिता से तात्पर्य किसी खास परिस्थितियों में राजनीतिक दल या राजनेता द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने से है, ना कि अपने नागरिकों के उत्तम जीवन या

सार्वजनिक कल्याण करने से। हम देख सकते हैं कि राजनीतिक साझेदारी करके नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों तथा विचारधारा की तिलांजलि दे दी जातो है। ऐसा व्यवहार बहुत बार भारतीय राजनीति में भी देखने को मिला है। जब विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अपनी विचारधाराओं के विरुद्ध जाकर राजनीतिक गठबंधन करते हैं व उन राजनीतिक गठबंधनों को तोड़ते भी हैं। राजनीतिक अवसरवादिता भारतीय राजनीति में यह कोइ नई परिघटना नहीं है। इसकी शुरुआत हम गठबंधन की राजनीति में देख सकते हैं जब 1967 में दलबदल संस्कृति का उदय होता है और आज तक भी यह दलबदल संस्कृति जारी है। राजनीतिक अवसरवादिता के संबंध में मान्यवर कांशीराम जी का कहना था कि बहुजनों को कम ही राजनैतिक अवसर मिले हैं इसीलिए जब भी बड़ी या राष्टीय पार्टियों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिलता है तो उसे गवाना नहीं चाहिए, चाहे उससे राजनीतिक विचारधारा मिले या ना मिले। कांशीराम राजनीतिक अवसरवादिता का खुलकर समर्थन करते थे। राजनीतिक अवसरवादिता को कांशीराम राजनीतिक समझदारी कहते थे। वहीं दूसरी तरफ राममनोहर लोहिया आदर्शवादी राजनीति के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए कठोर आचारसंहिता भी बनाई हुई थी। लोहिया अपने सिद्धांतों से समझौता करने वालों में से नहीं थे, उनके लिए नैतिक होना बहुत जरूरी था। लोहिया आदर्शवादी राजनीति की रक्षा किसी भी हाल में करना चाहते थे।

राजनीति अवसरवादिता कि जड़ हम राजनीतिक दलों के निर्माण में भी खोज सकते हैं। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों का निर्माण भाषा, धर्म, जाति तथा क्षेत्र के आधार पर भी किया गया है जैसे भाजपा दल की वैचारिक नींव हिन्दू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। परंतु मात्र धर्म, जाति या भाषा के आधार पर राजनीतिक सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है और इसीलिए सत्ता के संघर्ष के लिए विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न समूह के साथ सौदेबाजी करते हैं। ताकि वोटों की संख्या को बढ़ाया जा सके तथा चुनाव जीता जा सके। हम अन्य राष्टोय स्तर के राजनीतिक दलों की निर्माण पृष्ठभूमि भी देख सकते हैं। कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है स्वतंत्रता से पूर्व ही इसका निर्माण हो गया था, स्वतंत्रता से पूर्व भी इसकी आलोचना होती थी और स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस को उच्च जाति व उच्च वर्गों की पार्टी कहा जाता रहा है।

80–90 के दशक के उपरांत कांग्रेस अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करती रही है। बाद में जाकर कांग्रेस भी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्ववाद की राजनीति करने लगी है वहीं भाजपा तो खुलकर बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं तथा बासपा दल की निर्माण पृष्ठभूमि

बहुजन प्ररित राजनीति पर आधारित है। इन सबके मूल में केवल वोट की राजनीति ही हावी होती है। राजनीतिक लाभ के लिए समय–समय पर बिना किसी संकोच के व नैतिकता को ताक पर रखकर यह राजनेता व राजनीतिक दल स्वहित में काम करते हैं। और इसी राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक गठबंधनों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें तोड़ा भी जाता है। एक समय में तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक अवसरवादिता इतनी प्रभावी हो गई की कि 'यह आया राम गया राम' जैसे नारे लगने लगे थे।

समाज में व्यक्ति कुछ नियम कानून के साथ बंधा होता है तभी समाज सुचारू रूप से चल पाता है यदि कोई व्यक्ति नियम कानून का उल्लंघन करता है तब उस व्यक्ति के कार्यों को हम अपराध की श्रेणी में रखकर देखते हैं। समाज में बहुत सी बुराइयां होती है जो उसे एक सभ्य समाज या लोकतांत्रिक समाज बनने में रुकावटें पैदा करता है। इसी तरह की सामाजिक बुराइयां या सामाजिक अपराध भारतीय समाज में भी देखने को मिलते हैं– जैसे जातीय हिंसा, लैंगिक भेदभाव, संप्रदायिक हिंसा व दंगे, ऑनर किलिंग, किसान आत्महत्या तथा अभिव्यक्ति की आजादी इत्यादि बहुत बार राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हीं सामाजिक अपराधों को बढ़ावा भी दिया जाता है। वोट की राजनीति के लिए संप्रदायिक दंगे और हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

सांप्रदायिकता की जड़े हम भारत विभाजन में भी देख सकते हैं परंतु इसके बाद भी भारतीय राजनीति में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो सांप्रदायिक दंगे और हिंसा से प्रेरित है जैसे 84 के सिख दंगे हो या 90 के दशक के कश्मीरी पंडितों का निष्कासन तथा बाबरी मस्जिद विवाद, 2002 का गुजरात दंगा हो या फिर 2013 का मुजफ्फरपुर दंगा और हाल ही का फरवरी 2020 का दिल्ली दंगा। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक दलों व नेताओं के लिए राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करती हैं। सांप्रदायिक भावना या द्वेष की भावना नागरिकों के बीच राजनीतिक दल या नेता केवल राजनीतिक लाभ की पूर्ति ही नहीं करते हैं अपितु यह समाज में सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचाते हैं साथ ही दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं जो सर्वधर्म समभाव पर आधारित मूल्य है। यह सांप्रदायिक दंगे और हिंसा की घटनाएं प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकाल में देखी जा सकती हैं, कोई भी दल या नेता इससे अछूता नहीं रहा है। सांप्रदायिक दंगे और हिंसा की घटनाओं के पीछे किसी भी राजनीतिक दल या नेताओं का अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक समुदाय के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति है। ध्रुवीकरण की राजनीति बहुसंख्यक समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करन की है।

ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टी या नेता हिंदू–मुस्लिम कार्ड से अपना राजनीतिक लाभ उठाने से पीछे नही हटते। जैसे 1990 में जब लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका तब लालू को अल्पसंख्यक समर्थक व आडवाणी को अल्पसंख्यक विरोधी की तरह दर्शाया गया। 2002 के गुजरात दंगों से मोदी और भाजपा पर सांप्रदायिकता का जो आरोप लगया गया वो सिर्फ भाजपा दल तक सीमित करके नही देखा जा सकता क्योंकि जब अन्य दल या नेता भाजपा दल के साथ गठबंधन करते है तो संप्रदायिकता की छिंटे उन दलो व नेताओं के दामन मे भी लगती है, चाहे मायावती की बसपा हो या नीतीश कुमार की जनता पार्टी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी ले सकते हैं जब शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के समर्थको से खुद को अलग करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में अरविंद केजरीवाल द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करना हो या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का मंदिर जाकर पूजा करना हो अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण की राजनीति ही हैं। हिंदू मुस्लिम का खेल यह सभी पार्टियां और नेता राजनीति अवसरवादिता का हो परिचय देती हैं चाहे कोई पार्टी में स्वयं को हिंदुत्ववादी कहती हो या धर्मनिरपेक्ष कहलाना पसंद करती हो परंतु सभी राजनीतिक दल और नेता समाजिक अपराध की आड़ में राजनीतिक लाभ की ही पूर्ति करते है।

♦♦♦♦♦

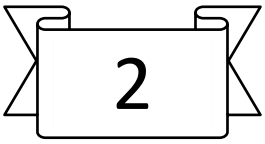

2

समाज में सामाजिक अपराध एवं राजनीतिक अवसरवादिता का बढ़ता स्तर

आयुष्मान शर्मा

स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग, इग्नू

यदि हम अपराध की जड़ों से जुड़े प्रश्न की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हं तो हमें राजनीति और समाज शास्त्री हाब्स, लॉक, रूसो की संवाद पर नजर डालते हैं। लॉक और रूसो का मानना है कि मानव जाति एक मुक्त और स्वार्थी होता है। भिन्न स्वभाव से हम मिलकर साथ कैसे रह पाएंगे इसलिए हमने समाज में एक सामाजिक समझौता किया जिसमेंवह एक दूसरे को सहयोग करना था। वहीं हॉब्स ने कहा है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, क्रूरतापूर्वक, बहुत बुरा है।

हम जानते हैं कि समाज में सामाजिक बुराई व सामाजिक अपराध की संख्या बढ़ रही है। हम जानते हैं कि अपराधी अपराध करते हैं पर गिरफ्तार नहीं होते जो अपराधी पकड़ जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं उन्हे सजा नहीं हो पाती, हमारी व्यवस्था की दुर्बलताओं व कानून के लचीलेपन का लाभ उठाकर बच निकलते हैं।

भारत में विशेषकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में बढ़ोत्तरी हुई है, जैसे दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घृणित सूचनाओं से हम अवगत है। जो हमारे समाज को दूषित कर रही है।

भारत में लैंगिक असमानता एवं अशिक्षा भी सामाजिक बुराई व अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। हम आप 21वीं सदी में जी रहे हैं हमने समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं। समाज सुधारकों के प्रयास द्वारा समाज में व्याप्त ब़ुराई को समाप्त करने का भरपूर प्रयास निरंतर होता रहा है। फिर भी इसका सटीक प्रभाव नहीं दिखता। महिलाओं की शिक्षा में नामांकन बहुत कम है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। इसके साथ घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या जैसे प्रकरण बढ़ रहे हैं और सामाजिक अपराध रूकने का नाम नहीं ले रहा है।

दहेज हत्या

दहेज संबंधी अपराधों में दहेज मृत्यु सबसे जघन्य अपराध है। दहेज मृत्यु दहेज की मांग को

लेकर उत्पन्न होता ह। भारतीय समाज में यह एक विकट समस्या है। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा 304बी दहेज मृत्यु से संबंधित है।

दहेज मृत्यु के बढ़ने का कारण हैं– एक महिला को अपना जीवन खोना पड़ता है।

1. जब उसको दहेज देने के लिए ससुराल से ताने सुनाए जाते हैं पिता से पैसे, सोना, गाड़ी, मकान की मांग की जाती है। इसे दहेज मागने की श्रेणी में रखते हैं।
2. इस मांग को पूरी न होने पर स्त्री को तरह–तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कभी–कभी स्वयं आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर लेती हैं। कभी–कभी सास–ससुर, नंद, भाभी, देवर द्वारा ताने सहने पड़ते हैं। ऐसा आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि दहेज के लिए लड़की को जला दिया जाता है, जो लोग दहेज लोभी को दहेज देने के लिए असमर्थ होते हैं। घरेलू हिंसा व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार ने प्रमुख कानून बनाए हैं एवं इस कानून को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। दहेज हत्या पैसा मामले की पांच एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार से इस आधार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सकता है।
3. दहेज लेना–देना दोनों ही दण्डनीय अपराध है। यह समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो समाज व परिवार को तोड़ रहा है। इसे समाज से खत्म करना चाहिए। दहेज भारतीय समाज में चली आ रही कु–प्रथा है जो सदियों से चली आयी। इस दहेज प्रथा से दानव ने कई घर समाप्त कर दिए। अब इस दहेज प्रथा रूपी दानव का विनाश करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। महिला को पढ़ा लिखाकर शैक्षिक, आर्थिक रूप से संपन्न बना देना चाहिए। जिससे दहेज ना देना पड़े।

भ्रूण हत्या

1990 में चिकित्सा क्षेत्र में अभिवाक्य लिंग निर्धारण जैसे तकनीकी उन्नति के आगमन के समय से भारत में कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला। भारत के कई हिस्सों में यह महिलाओं को बोझ समझा जाता है, व लड़की पैदा होने पर शोक मनाते हैं, और लड़का पैदा होने पर ढोल के साथ खुशी मनाते हैं। घर का चिराग मानते हैं बड़ा नौकरी करेगा घर का उत्तराधिकारी होगा और वंश को आगे बढ़ाएगा ऐसा समझा जाता है। लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाएगी और उसकी पढ़ाई और शादी में दहेज के लिए धन खर्च करना पड़ेगा।

Ultra Sound Scan जैसी तकनीक से पहले लिंग परीक्षण की जांच ने लिंग परीक्षण कई लड़कियां जान ली। गर्भ में पल रहे बच्चे को 3 महीने में लड़की लड़के पता लगाने पर उन्हें पेट में ही

मरवा दिया जाने लगा। यह समस्या दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में विकराल रूप से जन्मी। उसी कारण से महिलाओं को पुरुष की तुलना में लिंग अनुपात कम हो गया। कन्या भ्रूण हत्या या कोई भी परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या 10 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। भारत में 1979 में अल्ट्रासाउण्ड तकनीकी आयी थी, इस समस्या का पहला कदम रखा।

भ्रूण हत्या को रोकने के लिए डॉक्टर भी उसमं संलिप्त है। उनको उचित दण्ड देना, उनकी डॉक्टरी लाइसेंस रद्द करने की सजा का प्रावधान किया गया। भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता भी चलाई गई। हरियाणा में फोगट सिस्टर्स में व हरियाणा पहलवानी में इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर नाम कमाया। इसका ऐसा उदाहरण दिए गए हरियाणा में एक स्लोगन दिया गया ''बेटी पेट में मार दोगे तो बहू कहां से लाओगे''। यह नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ और 2015 में केन्द्र ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

हमारे समाज में महिलाएं एक लम्बे समय से भेदभाव और पूर्वग्रहों की शिकार होती जा रही हैं। उन्हें अक्सर बुनियादी अधिकारों से वंचित करके रखा जाता है। देश के विभिन्न भागों में लगातार गिरता हुआ लिंग अनुपात, जो गंभीर चिंता का विषय है। गिरता लिंग अनुपात की पवृत्ति से सुधार लाने के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के महत्व को विशेष रूप से ध्यान से रखते हुए महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का आरंभ किया गया। इस योजना स न केवल हमारी बालिकाओ की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता लाने से मदद मिलेगी। अपितु उनकी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित में भी सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। इन नई योजनाओं द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बन बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

इस प्रकार क्रियान्वयन योजना द्वारा हम भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा समाज से निकाल सकते हैं जिसमें महिला को बोझ समझा जाता है। आज महिलाएं चांद तक जा रही हैं, लोग तन–मन से महिलाओं के पूर्वाग्रहों को समाप्त करना रह गया है।

राजनीतिक उदासीनता

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के राजनेता पदभ्रष्ट हो गए हैं। आजादी से पूर्व व आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं को समाज और देश में बहुत से सुधार करने की ललक थी। इसी के चलते हमारे पास गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगत सिंह, जैस राष्ट्रवादी सपुत्र दिए, साथ ही साथ सरोजनी नायडू, अरुणा आसफअली, बीकाजी काम, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नैत्रियों से देश की नींव रखी गई आजाद के 20 वर्ष तक नेताओं में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी समाज के सुधार में लगे रहे। परन्तु 70 के दशक में भ्रष्टाचार, राजनीतिक उदासनीता, व्यक्तिगत इच्छा के लिए भ्रष्टता शुरू हो गई। अब राजनेता कुर्सी के लालच में जनता जनार्दन को धोखा देना आरंभ कर दिया है। हमें यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि राजनेता पंथनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। 70 के दशक में भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन चला। जय प्रकाश नारायण सम्पर्णू आन्दोलन में कहा की जिंदा कोमे पांच साल इंतजार नहीं करती। गुजरात में नवनिर्माण आन्दोलन हुआ। जिसमें राजनेता को कुर्सी छोड़ने का आह्वान होने लगे। 1990 के दशक आते आते गठबंधन राजनीति अवसरवादिता की राजनीति करना राजनीतिक दलों की कमजोरी बन गई। वर्तमान में हम कर्नाटक और बिहार में देखने को मिला। जहां समय समय पर एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाना जनता दल यूनाइटेड में नीतिश कुमार द्वारा 17 साल पुराना कुनबा छोड़कर चले गए। और डेढ़ साल बाद फिर एन.डी.ए. से मिल गए।

राजधानी दिल्ली

राजधानी दिल्ली में सन् 2012 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार स्कैम पर एन्टी करप्शन मूवमेंट से निकले। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन छेड़ा। जिसमें किरण बेदी आदि प्रसिद्ध लोगों ने साथ दिया।

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तत्कालीन सत्ताधारी सरकार कांग्रेस के खिलाफ था जो 10 साल से केन्द्र में और 15 साल से शीला दीक्षित केन्द्र की सत्ता में शामिल थीं। नए–नए घोटाले 2जी, 3जी, कोयला घोटाले आते रहते थे। 2012 में केजरीवाल और अन्ना हजारे से अलग होकर चुनाव लड़ा। कैम्पेन कांग्रेस के खिलाफ था 2013 में 28 सीट जीता आम आदमी पार्टी जिसके विरूद्ध चुनाव लड़ा उसके सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं यह

अवसरवादिता का एक सटीक उदाहरण है। सीधे–साधे अन्ना हजारे को धोखा देकर टीम अन्ना को छोडते हैं वह उनकी शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आते।

हम राजनीति में सुनते आये हैं कि ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन यहां रोज अलग अलग समीकरण बदलते हैं। अब जब एक बार केन्द्र में तीन दशक बाद 2014 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो क्षेत्रिय दलों में खलबली मच गई। ये खलबली अस्तित्व की लड़ाई से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए राजनीतिक गुट बनने लग गए हैं।

भारतीय राजनीति में एक पार्टी में जाना आम बात रही है। चाहे वह उत्तर भारत में हा चाहे वो दक्षिण भरत में हो। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलते रहते हैं। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में केवल अपना हित वह अवश्य देखते हैं। जहां उन्हें अधिक शक्ति और पद मिलता है वहीं चले जाते हैं। ऐसा दलबदलू राजनेताओं के लिए 'आया राम गया राम' जैसी कहांनियां प्रसिद्ध है।

1990, 1996, 2009 दल बदल मामले सामने आते रहे। दल बदल से एक नेता पार्टी की निष्ठा और उसकी अवसरवादिता, व्यक्तिनिष्ठता आज्ञाकारिता, अनुशासन तथा प्रतिबद्धता का पता चलता है।

♦♦♦♦♦

3

सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवादिताः हाथरस घटना के संदर्भ में

अजय कुमार शाह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मानव सभ्यता प्राचीन परंपरा व संस्कृति का परिपालक रहा हैं। मानव सभ्यता सदैव संस्कृतिक आधारित मूल्यों व प्रथाओं को वरीयता देने के साथ सामाजिक जीवन यापन करता आया हैं। परंतु आज हम देखते है कि समाज में अपराध बढ़ता जा रहा हैं बढ़ते अपराध को कानून व्यवस्था का मामला बता कर समाज अपनी जबाबदेही समाप्त कर लेता हैं, जो समाज को पतनशील की ओर लेकर जा रहा। जब समाज अपनी जबाबदेही से मुखर हो जाता है तो राजनेता उसे राजनीतिक करने का अवसर बना लेते हैं और सामाजिक अपराध को राजनीतिक अवसरवादिता में परिवर्तन कर लेते है आगे कुछ उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही इस लेख में यह भी विचार–विमर्श करेंगे की सामाजिक अपराध आज कैसे राजनीतिक विचार विमर्श करने का विषय बनता जा रहा है। पहले हम यह समझते है की सामाजिक अपराध क्या होता हैं।

सामाजिक अपराध

सामाजिक अपराध को समझने से पहले हम अपराध को समझ लेते है, अपराध का अर्थ होता है कोई ऐसी गतिविधि व कार्य जो गैर कानूनी हो, जिसे करने से किसी व्यक्ति, समाज समूह में को क्षति का वातावरण उत्पन्न होता हैं और दंड का प्रावधान हो उसे अपराध की क्षेणी में रखा जाता है। समान्यतः इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो गैर कानूनी है और वह समाज के किसी विशेष समूह को प्रभावित करती है उसे सामाजिक अपराध कहते हैं, इसमे प्रभावित होने वाले दो चार लोग नहीं होते अपितु इस अपराध का प्रभाव किसी खास समूह या समुदाय से सांकेतिक होता है जैसे–पंथ सांकेतिक अपराध, महिला सांकेतिक अपराध, जाति सांकेतिक अपराध आदि।

राजनीतिक अवसरवाद

ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी राजनीतिक व्यवस्था से उत्तम हैं। ऐसा इसलिए क्योकि इस व्यवस्था मे सभी लोगों को समान रूप से राजनीति करने का अवसर दिया जाता हैं। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। कुछ खास लोग ही इस अवसर का व्यवहार में लाभ उठा पाते है।

सामाजिक अपराध व राजनीतिक अवसरवाद–हाथरस घटना का विश्लेषण

दोनों को पृथक–पृथक देखने पर यह अधिक सरल प्रतीत होता है, परंतु दोनों को साथ में समझना अत्यधिक जटिल है क्योकि यह अवसरवादिता समाज मे विदरण (Cleavage) को बढ़ता हैं। हाथरस में 14 सितंबर 2020 को 19 वर्ष की लड़की के साथ असामाजिक तत्वों ने दुराचार किया। इस दुखद घटना के आधार पर सामाजिक अपराध को कैसे राजनीतिक दल राजनीतिक अवसर में परिवर्तित कर लेते है। इस घटना के आधार पर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल इसे राजनीतिक अवसर के रूप मे देखते हैं।

हाथरस की घटना एक दुखद घटना थी जिसे समाज के असमाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसे इस सामाजिक अपराध के बारे में दलों को पता चला लगभग सभी छोटे–बड़े राजनीतिक दलों ने इस घटना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक अवसर के रूप में लिया। कुछ दलों का उदाहरण इस प्रकार हैं–

उत्तर प्रदेश मे काँग्रेस के नेता के लिए राहुल–प्रिंयका ने हाथरस घटना को राजनीतिक अवसर के रूप में लिया। एक समय था जब काँग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मे अव्वल पर थी परंतु अभी काँग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक अधिकारिताओं की तलाश रही है। काँग्रेस ने हाथरस की घटना को अपने दल में जान डालने के लिए अफरा–तफरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पूरे काफिले के साथ हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पंहुचे। उनके काफिले को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया तो वह पैदल ही निकाल पड़े और इन पैदल मार्च से दोनों ने अधिक सुर्खिया बटोरी। इस प्रकार कहा जा सकता है की कैसे काँग्रेस ने इस सामाजिक अपराध को राजनीतिक अवसरवादिता में परिणित किया।

प्रियंका और राहुल के हाथरस जाने के पश्चात् आशा उम्मीद थी कि अखिलेश भी जाएंगे, परतुं ऐसा नहीं हुआ. उनके स्थान पर नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया।

इसके सबके बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह–जगह प्रदर्शन किया। इस सबके मध्य बहुजन समाजवादी पार्टी अपने आधारिक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वह ट्वीट कर सरकार को प्रभावित करतो दिखीं। प्रदेश में राजनीतिक अधारिकता की खोज कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी जाकर जातीय आधार लोगो को लामबंद करने का प्रयास किया। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले संजय सिंह ने योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया। संजय सिंह हाथरस विषय को उच्च जाति और दलित का मुद्दा बनाने की की प्रयास किया, और सरकार पर आरोप अगया कि आरोपी सवर्ण है, के कारण ऐसे में पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा।

राजनीतिक पार्टी बना चुके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी हाथरस की घटना से लाभ उठाने का प्रयास किया। भीम आर्मी कार्यकर्ता अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से लेकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक प्रदर्शन करते रहे अपनी राजनीति लाभ के लिए, इतना ही नहीं हाथरस पीड़िता से मिलते जाते वक्त कार्यकर्ता पुलिस से भी झगड़ा कर लिया।

राजनीतिक दल सामाजिक अपराध के माध्यम स लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास करते रहे है। समान्यतः लामबंद का अर्थ है लोगों का समूह जो किसी विशेष गतिविधि के लिए संगठित हो (अरुण आर० स्वामी, Ed जयाल और मेहता, 2014)। लामबंदी जीवित लोकतन्त्र का आधारभूत तत्व होता हैं, जो लोकतन्त्र को नए–नए आयाम देता हैं। राजनीतिक दल हो या अराजनीतिक संगठन, वह किसी भी विषयों पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लामबंद के विभिन्न आयाम को अपनाते है। राजनीतिक दल मत की प्राप्ति के लिए राजनीतिक लामबंद के आयाम को धरातल पर व्यवहारिक रूप देते हैं।

प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अनुसार जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, शिक्षा, पानी, बिजली, घर, शौचालय बनाने, सड़के बनाने, नाले बनाने, रोजगार, भ्रष्टाचार, रोजगार, आदि अनेक विषयों के माध्यम से इस समूह को लामबंद करने कि प्रयास करते हैं। परंतु समकालीन समय में सामाजिक अपराध को राजनीतिक अवसर बनाना समाज के लिए हितकारी नहीं हैं बल्कि यह समाज मे विदरण (**Cleavage**) को बढ़ता है और समाज मे द्वेष को जन्म देता है। इस प्रकार कि अवसरवादिता राजनीतिक से समाप्त होनी चाहिए क्योकि समाज का हित उसी में है।

♦♦♦♦♦

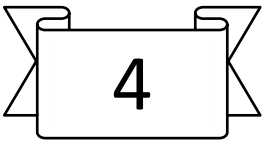

4

बच्चों एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराधः असहनशीलता एंव असहिष्णुता

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधियालय

देश में नियम एवं कानून अत्यधिक कठोर होने के पश्चात भी हम यौन–अपराधियों में भय उत्पन्न नहीं कर पा रहे है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। किन्तु अत्यधिक ध्यान अपराध होने के पश्चात की कार्यवाही पर होता रहा है, इन घिनौने अपराधों को रोकने पर नहीं। देश में निरंतर बढ रहे दुष्कर्म विषयों के उत्तेजित होने पश्चात संसद व न्यायालयों की ओर देखे तो पता चलता है कि लगभग डेढ़ लाख ऐसे विषय न्यायालयों में प्रतीक्षा करते मिलते है। सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि देश यह स्पष्ट करें कि मासूमों के हमलावारों पर पूर्ण असहनशीलता रखे या नहीं। तो प्रति–उत्तर में पिछले वर्ष देश में 1023 और विशेष न्यायालय खोलने की स्वीकृति मिली तथा बजट भी मिला। पुनः कानून को प्रारंभ से देखा गया, पॉक्सो में अपराध सिद्ध हुआ तो 10 वर्ष नहीं, सीधे 20 वर्ष की जेल व आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनिश्चित हुई।

राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने बच्चों के दुष्कर्म के विषयों पर मौत की सजा का कानूनी संशोधन कर दिया था। परंतु आज भी परिस्थितियाँ अधिक बेहतर नहीं है। आश्चर्य होता है यह जानकर देश के पचास प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रूप में अपराध को सहन कर रहे है। कुल यौन अपराधों के 51 प्रतिशत यौन–अपराध तो पाँच राज्यों जैसे दिल्ली, बिहार, उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश तथा महाराष्ट्र में ही होते है। अधिकतर यौन–दुष्कर्म महाराष्ट्र, उत्तर–प्रदेश व तमिलनाडु में होते है। सम्पूर्ण विश्व के देशों मे बच्चों के यौन–शोषण के बारे में इंटरनेट सामग्री का आकलन करने वाली एक संस्था ने मूल्यांकन में पाया कि इस प्रकार के लगभग 38 लाख प्रतिवेदन अर्थात सामग्री भारत में ही उत्पन्न हुई है। इसके रूप दिल्ली सहित सात राज्यों से जुड़े हुए है। इंटरनेट पर विस्तारित यौन–अश्लीलता का स्पष्ट रूप से निशाना बच्चे बनते है। बच्चों का संरक्षण करने वाला कानून इस पर भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देता। स्पष्ट रूप से वृहत प्रश्न पुलिस की सतकर्ता एवं सक्रियता के साथ न्यायालयों की संवेदनशीलता का भी है। जहाँ–जहाँ पद पर कार्य करने वाले अधिकारी है, वहाँ मुकदमा लिखने

से लेकर सजा व मुआवजा सभी कार्य समय रहते निश्चित हो जाते है। अतः सबसे बड़ी कमी यह है कि बच्चे व परिवारजनों को मानसिक रूप से संभालने, सुदृढ़ बनाए रखने व दिन–प्रतिदिन के जीवन में पूर्व के जैसी जीवन–निर्वाह तथा घुलने–मिलने की परामर्श प्राप्त नहीं होती।

तथापि इस प्रकार के अपराधों में जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को सादा कपड़ों में रहने, पीड़ित के लड़की होने पर महिला पुलिस अधिकारी साथ होने तथा मनोवैज्ञानिक की सहायता लेने के साथ–साथ अत्यधिक संवेदनशीलता से व्यवहार करने का नियम भी है। कानून में आवश्यक व महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बच्चों के विरुद्ध यौन–हिंसा के विषयों में दो माह में जांच–पड़ताल पूर्ण होकर आरोप–पत्र तैयार किया जाए।

आधारिक तथ्य यह है कि प्रत्येक पहलू पर काम किए बिना कुछ नहीं रुकेगा। समुदाय की निगरानी, जागरूकता का अभ्यास, अपराध होने पर पुलिस और न्यायिक संवेदनशीलता एवं निश्चित समय में न्याय। अतः यह धैर्य का विषय नहीं है, यहाँ धैर्य की आवश्यकता है ही चाहिए। बच्चे व परिवार पर शर्मिंदगी का भार न चढ़ाएं, इसके लिए संवाद व दृष्टिकोण को कुछ रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसका एक स्वरूप यह हो सकता है कि एक बच्ची का यौन–अपराध न कहकर, कहा जाए कि एक पुरुष ने बाल यौन–अपराध किया है। पीड़िता को मुआवजा दिलाया गया, कहने के स्थान पर कहा जाए कि दंड के रूप में सरकार या अपराधी ने इतना क्षतिपूरण भरा, तथा इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि विषय की जांच होने से पूर्व इसका मीडिया ट्रायल न हो। बच्चों को लक्ष्य बनाकर होने वाली राजनीति को समाप्त करने के लिए लोक–समुदाय में निरंतर सजगता होनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के विषयों पर काम कर सामाजिक संगठनों में दिखावटी काम करने वाले सामान्यतरू ऐसे संवेदनशील विषयों पर भी आवाज उठाने से पहले जाति और राजनीतिक दलों के प्रति अपनी वफादारी का जोड़–भाग करते है। अवसरवादिता और किसी विषय पर आक्रमकता, किसी पर निस्तब्धता, यह एक सुदृढ़ समाज का चिन्ह नहीं है। देश के किसी भाग में किसी भी वर्ग में बच्चों के विरुद्ध यौन–शोषण, दुष्कर्म और हिंसा की प्रत्येक घटना हमें समान रूप से कचोटनी चाहिए। न्याय के लिए दबाव बना रहना चाहिए। तथा इसके साथ ही सरकारों की जवाबदेही निश्चित हो यह भी महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है। निगरानी कमजोर होने और नियत में खोट आने पर न कोई विधि व कानून काम नहीं आता है और न ही व्यवस्था–अनुरूप जांच–पड़ताल का वातावरण बन पता है। जहां ईमानदारी से कार्य होता है, वहाँ प्रशासन भी सतर्क व सचेत

रहता है। व्यवस्था को यह चिंता बनी रहती है कि उसके क्षेत्र व जिले में अपराध अधिक न दिखे, एफआईआर की स्थिति न आए और समझौते के आधार पर कार्य चल जाए।

यौन–अपराधों के विषय बच्चियों के साथ अत्यधिक होते है, पूर्ण वर्ष में देखे तो लगभग 21,000 यौन–दुराचार के विषय सामने देखने को मिला। ऐसे अपराधों की निरंतर बढ़ती संख्या का वास्तविक यथार्थ यह भी है कि लगभग 90 प्रतिशत विषयों में बच्चों का नजदीकी, संबंधी तथा जाना–पहचान व्यक्ति ही होता है, जो विश्वास की नींव को पहले कमजोर करता है और अवसर पाकर उस विश्वास की नींव को गिरा देता है।

प्रत्येक दिन 109 बच्चे यौन–शोषण का शिकार हो रहे है, लगभग 30 प्रतिशत विषय बच्चों के "आश्रय घर" के है। मार्च में जारी किए गए नए नियमों में पूर्ण असहनशीलता व असहिष्णुता के तथ्य को पुनः रखते हुए प्रत्येक आयु के बच्चों को जागरूक करने, समाज व समुदायों के मन व मष्तिक पर कार्य करने एवं निगरानी पर मूल रूप से जोर देने पर है। परंतु अंततरू सम्पूर्ण बात इस तथ्य पर आकर रुक जाती है कि इनका कार्यान्वयन किस प्रकार हो व कैसे हो? दिव्यांग बच्चों के विरुद्ध यौन–अपराधों की कोठरी इतनी गहन है, इसका विचार हमें है ही नहीं, ऐसे अपराधों के बारे में ये बच्चे कैसे बताएं व किसे बताएं। जो बच्चियाँ बोल व सुन नहीं पाती उन्हें तो उनकी माँ भी नहीं समझ पाती तो और कोई क्या समझेगा। सामान्यतरू संवाद व संवेदनाओं के वास्तविक स्वरूप को सम्मिलित किए बिना बच्चों के वास्तविक संरक्षण की आशा कम ही रहेगी।

आज के हम सभी असहनशील व असहिष्णु है। असहनशील व असहिष्णु हमें रहना चाहिए, परंतु असहनशील हमें बच्चों व महिलाओं के विरुद्ध हो रहे दुराचारों के प्रति होना चाहिए। अतः इस दिशा में एक परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन वृहत स्तर पर होना चाहिए, जिसके लिए अपराधों के विरुद्ध कठोर नियम व कानून बनाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन व मष्तिक में परिवर्तन हो। इस परिवर्तन को मात्र एक महिला ही अपने घर से प्रारंभ कर सकती है। उस महिला द्वारा अपने बच्चों को दिए गए मूल्य व मान्यताएं, संस्कार व संस्कृति तथा नीति व नैतिकता के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, जो हमें परिवार, समाज व देश में व्यवहार करने की दिशा में प्रतिष्ठित–वान बनाते है। जिससे देश में हुई संस्कार व संस्कृति की अवनति को निरंतर उन्नति को ओर अग्रसर किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

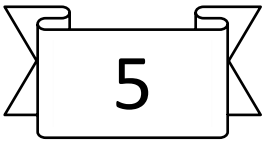

बढ़ते सामाजिक अपराध में राजनीतिक दलों की भूमिकाः सुधार की इच्छाशक्ति या अवसरवादिता?

प्रियंका बारगल

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गुनौर, जिला पन्ना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आदिकाल की यदि हम बात करें तो, मनुष्य प्रारंभ से ही समूह में रह रहा है, बिना समाज के हम मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना समाज के मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम अपराध को परिभाषित करें ,तो हम देखते हैं कि अपराधी द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात समाज के प्रमुख व्यक्तियों या संस्थाओ द्वारा समाज के भले के लिए जो रीति–रिवाज बनाए जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य किये जाए, जिससे कि उक्त रीति–रिवाजो को करने में बाधाएं आए या सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, तो इसे हम (सामाजिक अपराध) की श्रेणी में लाएंगे। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है, कि यदि हम समाज के ठेकेदारो द्वारा बनाए गए नियम–कानूनों को तोड़ भी दे, तो भी हम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या अन्य शब्दों में कहें तो कानून की प्रक्रिया से बच नहीं सकते। भले ही यह कहा जाता रहे या यह अफवाह उड़ा दी जाए की, अधिवक्ताओं द्वारा कानून के दांव–पेंचो से खेला जाता है तथा कई बार निर्दोष को सजा मिल जाती है, वही अपराधी दोषमुक्त सिद्ध हो जाते हैं, किंतु ऐसा सर्वदा हो यह कहना ना केवल गलत होगा, वरन अन्यायपूर्ण भी होगा।

यदि हम आज के प्रजातंत्र की बात करें, तो हम देखते हैं, कि हमारे भारतीय परिदृश्य में लोकतंत्र व प्रजातंत्र का उद्भव वैदिक काल में ही हो गया था। प्राचीन समय से ही लोग जिनमें विशेषकर कबीलो, जो कि एक समुदाय होता है, एक जगह स्थिर रह कर जीवन नहीं व्यतीत करते थे, उनमें एक सरदार या मुखिया को चुन लिया जाता था, जो उन सभी में अधिक शक्तिशाली, समझदार और बुद्धिमान होता था। समय के साथ यह प्रथा आगे बढ़ती गई और

सत्ता के लिए लोगों में आपस में संघर्ष होने लगा। कालांतर में इसी प्रथा ने विभिन्न राजनीतिक दलों का उद्‌भव किया, जिसका वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित है। पूर्व में या यूं कहे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य देश की एवं जनता की सेवा करना होता था। इन राजनेताओं का कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता था, यहां तक कि यदि हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो पाते हैं, कि देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के महासंग्राम में कई व्यक्ति शहीद हुए। किंतु वर्तमान में राजनीति कलुषित हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देश की जनता का उपयोग मात्र न अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु किया जाता है, बल्कि अपने स्वार्थ के वशीभूत हो कर आज के कुछ राजनैतिक दल अपने देश को विदेशी ताकतों के हाथो बेचने से भी परहेज नहीं करते है, जो कार्य स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किया जाता रहा, वही काम आज के कुछ राजनेताओं द्वारा देश को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है, अर्थात फूट डालो और शासन करो।

आज के राजनेता देश की युवा शक्ति का उपयोग अपने चुनावों में जीतने के लिए भीड़ जुटाने हेतु करते हैं, जबकि इन तथाकथित युवाओं को यदि सही मायनों में दिशा–निर्देशित किया जाए, तो यही युवा देश के स्वर्णिम भविष्य के आधार बन सकते हैं, किंतु राजनीतिक दलों के मध्य गला काट ओछी प्रतियोगिता ने ना केवल इन युवाओं में एक भटकाव ला दिया है, अपितु सामाजिक अपराधों में भी बढ़ोतरी की है। सामाजिक अपराध के उदाहरण की यदि हम बात करें तो इन अपराधों की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों के अतिरिक्त जेब काटना, मानहानि, किसी लड़की को छेड़ना जैसे मामूली अपराध भी आते हैं।

छोटे–मोटे सामाजिक अपराधों को तो समाज में ही येन–केन प्रकारेण निपटा लिया जाते है, किंतु बड़े व जघन्य अपराधों के कारण से ना केवल मानवता कलुषित होती है, वरन् सामान्यजन में भी असंतोष व्याप्त हो जाता है। कई बार इन सामाजिक अपराधों को जड़ में तत्कालीन परिस्थितियां, अपराधी की मनोदशा के अतिरिक्त पीड़ित की कमजोरी एवं बेजुबानी भी जिम्मेदार होती है। सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की भूमिका है, यदि राजनैतिक दल, जो कि सत्ता में है, उनकी इच्छाशक्ति हो तो वह इतने कठोर कानून बना सकते है कि अपराधी किसी भी अपराध को करने से पूर्व ही कई बार विचार करने पर असहाय हो, तो खुद–ब–खुद अपराधों की दर में कमी आ जाएगी, पर ये योजनाएं सिर्फ कागजी कार्यवाही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, तथा राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता का महत्वपूर्ण एवं प्रभावपर्ण तरीके से उपयोग करते हुए, इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहिए, तथा प्रशासन के

अधिकारियों द्वारा कठोरता से इन नियमों कानूनों का पालन करवाया जाना चाहिए, तभी समाज में अपराधों की दर में गिरावट आ सकती है, तथा एक भयमुक्त वातावरण में सामान्यजन रह सकते हैं, पर यहां बात है, राजनेताओं की इच्छा शक्ति की, यदि वह चाहे तो हर चीज संभव है, पर होता यह है कि राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा इस बात में भी अपने भले की तथा लाभ के लिए अवसर खोज लिए जाते हैं। सत्ता में आने के लिए इन राजनीतिक दलों द्वारा सामान्य जनता का जिस तरह से उपयोग किया जाता है, वह किसी भी प्रकार से नैतिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। चुनाव के ठीक पहले जिस प्रकार से राजनेताओं द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब एवं पैसा मतदाताओं को लिए उपलब्ध कराया जाता है, वह अपने आप में हो अपराध की जड़ है। वैसे भी मद्यपान करने के पश्चात् तो व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है, और उसके पश्चात् इन तथाकथित राजनेताओं द्वारा अपने स्वार्थपूर्ति हेतु अपने विरोधियों की हत्या करवाई जाती है, उनके सगे–संबंधियों का अपहरण करवाया जाता है, उनकी पत्नियों का एवं मां–बहनों का बलात्कार जैसे कार्य भी करवाये जाते है। कई बार सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जिस महत्वाकांक्षी योजना को सामान्य लोगो की भलाई के लिए क्रियान्वित करता है, सरकार बदलने के साथ ही ऐसी योजनाए ठंडे बस्ते में चली जाती है। इन योजनाओ को लेकर लाभार्थी एवं जिनको इन योजनाओ का लाभ नहीं पहुंच पाता है, उनके मध्य संघर्ष चलता रहता है, जो कही ना कही किसी सामाजिक अपराध को बढ़ावा देता है।

इस प्रकार हम यह कह सकते है, कि राजनीतिक दल दृढ़ इच्छा–शक्ति के साथ कानून बनाए तथा इन कानूनों का बिना किसी ढिलाई के कठोरता से पालन करवाए, तो वह दिन दूर नहीं ,जब कोई भी माता–पिता चिंतारहित होकर अपनी बच्ची व बहन को कहीं भी आने–जाने कि स्वतंत्रता दे पाएंगे, तथा आने वाली पीढ़ी एक साफ सुथरे समाज का ना केवल हिस्सा बनेगी ,अपितु उसे निर्माण करने में भी अपना सहयोग द सकेगी। इसी के साथ राजनीतिक दलों को भी सत्ता में आने का एवं उसी में बने रहने का मोह त्यागते हुए, अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए तथा सामाजिक अपराधो को जड़ से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए जिससे कि देश की चहुमुखी प्रगति हो सके।

♦♦♦♦♦

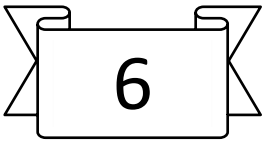

राजनीति–अपराध गठजोड

विजय प्रकाश सिंह

शोद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में चुनावों के समय किसी भी उम्मीदवार को लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो यह है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी छवि कैसी है, क्या उस उम्मीदवार पर को आपराधिक मुकदमा दर्ज है या वह किसी प्रकार के संगठित अपराध में लिप्त है, इत्यादि। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को चुनाव के दौरान बेहद तोड़–मरोड़ के पेश किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। परन्तु बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। यदि किसी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि आपराधिक है या किसी दल का कोई उम्मीदवार किसी आपराधिक गुट से संबंध रखता है तब यह संबंध लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। अतः इस संबंध को राजनीति–अपराध गठजोड़ का नाम दिया जा सकता है जो राजनीति के अपराधीकरण को जन्म देता है।

संगठित अपराध

संगठित अपराध की श्रेणी में उन कृत्यों व व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिये तीन या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल, जो गंभीर अपराध करने के लिये कुछ समय से एकजुट होते हैं। पारराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2000 के अनुसार इसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है, जिनमें सजा कम– से–कम 4 वर्ष की हो। संगठित अपराध दुनिया के अधिकांश देशों के लिए सुरक्षा और शासन के लिए खतरा बन गया है। यह आसानी से नए वातावरण को अपनाता है और अपनी शक्ति का प्रचार व प्रसार करता है तथा काले धन को हथियार के रूप में उपयोग करता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों में, संगठित अपराध तथा भ्रष्ट राजनेताओं व सिविल सेवा अधिकारियों के मध्य गठजोड़, संस्थागत कमजोरी का व्यवस्थित रूप से शोषण, विधि के शासन को प्रभावित करने और निर्णय लेने में पारदर्शिता को विकृत करके लोकतंत्र के मूल्यों और व्यवहार को नष्ट करते हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की ओर इशारा करता ह। वर्ष 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि, भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार, ऐसी स्थिति बन गइ है कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्द्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले लोकसभा चुनावों के आँकड़ों पर गौर करने पर यह पता चलता है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में संसद के 24 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर 30 प्रतिशत, वर्ष 2014 में 34 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 43 प्रतिशत हो गए। इसी प्रकार, नेशनल इलेक्शन वॉच और एसासिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म की रिपोर्ट में यह बताया गया कि, जहाँ एक ओर वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले संसद सदस्यों की संख्या 76 थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई।

इस प्रकार, 2009–19 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संसद सदस्यों को संख्या में कुल 109 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। गंभीर आपराधिक मामलों में बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को शामिल किया जाता है। यह काफी स्पष्ट है कि भारत में राजनीति–अपराध गठजोड़ बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है ऐसे में यह भारत की सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध दखल देने की आवश्यकता है ताकि इस गठजोड़ को तोडा जा सके व लोकतंत्र को बचाया जा सके

राजनीति–अपराध गठजोड़ एवं सर्वोच्च न्यायालय

भारत में राजनीति–अपराध गठजोड़ द्वारा सार्वजनिक जीवन का जिस सोमा तक क्षरण किया गया है, वह असाधारण है तथा नागरिकों के रूप में हमें किसी अन्य समस्या की अपेक्षा इस तथ्य से अधिक सरोकार रखना चाहिए। इस गठजोड़ में एक प्रकार की सहपराधिता देखी जा सकती है जहाँ एक ओर, राजनीतिक अभिकर्ता चुनावों में लाभ या व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं तथा, वहीं

दूसरी ओर, आपराधिक समूह दंड–मुक्ति या संरक्षण की मांग करते हैं। इस प्रकार इस रिश्ते में आपसी सहमति का निर्माण होता है।

राजनीतिक स्तर पर अलग–अलग रूपों और अंशों में राजनीति–आपराध गठजोड़ है। भारत में अपराध और राजनीति इतने परस्पर जुड हुए हैं कि एक साफ छवि के नेता की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सितंबर 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को आदेश दिया कि वह राजनीति के अपराधीकरण के ष्दोष का इलाज करनेष के लिए एक कानून बनाकर यह सुनिश्चित करे कि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश न कर पायें। यह भी सलाह दी कि राजनीति की ष्प्रदूषित धाराष को साफ किया जाए। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण ष्लाइलाजष नहीं था, लेकिन इस मुद्दे को लोकतंत्र के लिए घातक बनने से पहले ही निपटाने की आवश्यकता थी। हमारे भारतीय लोकतंत्र ने अपराधीकरण के स्तर को भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए देखा है। यह संवैधानिक लोकाचार को बाधित करता है, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की जड़ पर प्रहार करता है और नागरिकों को पीड़ित करता है।

इसी प्रकार, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने फरवरी 2020 में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ–साथ पार्टियों के सोशल मीडिया अकाऊंट पर प्रकाशित होनी चाहिये। यदि कोई राजनैतिक दल इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो यह इस कृत्य को न्यायालय के आदेशों व निर्देशों की अवमानना माना जाएगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब ऐसा काई कदम इस अपराधीकरण के विरूद्ध उठाया गया था। नब्बे के दशक की शुरुआत में, सरकार ने इस खतरे से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एन एन वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कितने अपराधी एक समानांतर सरकार चला रहे थे तथा इन अपराधियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में नाकाम रहने के लिए मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली को दोषी ठहराया। इसने गठजोड़ को तोड़ने के कई उपाय सुझाए। उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई आदेश पारित किए लेकिन उनका कोई लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ा।

इस समय देश में कई दलों में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध संगठित अपराध से है। ऐसे में यह भारत की न्याय प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि किस प्रकार से इन अपराधियों को राजनीति से दूर किया जाये। इस प्रकार, देश की संसद द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे इन अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने से रोका जा सके तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी इस संबंध में संसद पर दबाव बनाना चाहिए जिससे इस दूषित राजनीति को साफ किया जा सके।

♦♦♦♦♦

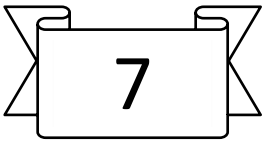

7

दलितों के विरुद्ध सामाजिक अपराध में राजनीतिक अवसरवादिता

राजिन्दर कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आजकल समाज में सुख और शांति बनाए रखना बहुत ही कठिन हो गया है। विशेषतः से भारत जैसे देश में जहाँ शांति बनाए रखने के लिए बड़ी कठिनाईयों से विधि का शासन लागू किया गया था। यद्यपि जंगलराज या पुराने मान्यताओं और सामाजिक नियमों से विशेषाधिकार या सुविधा प्राप्त सामाजिक तत्वों के लिए यह ऊपर से थोपी गए प्रावधान थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के साथ ही देश में असंवैधानिक शासन की समाप्ति पर नए प्रकार के संवैधानिक शासन की शुरुआत हो रही थी अब देश में राजा पेट अर्थात आनुवांशिक से नहीं अपितु मत पेटी से चुना जाना था। किंतु कानून आने से सभी सुधर जाएं ऐसा समझना मात्र एक कोरी कल्पना है। जो लोग अपराध को मन मस्तिष्क में बसा लें उनसे नियम कानून का पालन करने की आशा करना मुख्यतः घोर निराशा में बदल जाती है।

समाज की सुख शांति अपराध से भंग हो जाती है। वैसे अपराध खुद में एक भयंकर संज्ञा है जिसका संज्ञान अक्सर "विधि का शासन" लेता रहा है। यहाँ किसी भी चीज को यूं ही अपराध मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा बल्कि सामान्यजन को यह जानना जरूरी है कि अपराध है? क्या भारत के संदर्भ में भारतीय दंड नीति यानी आईपीसी की धारा 40 अपराध की परिभाषा तय करती है और सीआरपीसी 2छ बताती है कि "ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय हैं अपराध कहलाता है। भारतीय कानून के साथ साथ विधि या कानून के क्षेत्र में प्रसिद्ध विचारकों के विचार से भी अपराध को समझना जरूरी हो जाता है। विधि वक्ता ब्लैकस्टोन का मानना है कि "अपराध ऐसा कार्य है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन से होता ह।" कैरी मानते हैं कि "अपराध ऐसे अवैध कार्य को माना जाता है जिनके लिए दंड दिया जाता है।" क्रोम एंड जोंस का मानना है कि अपराध जानबूझकर कानून का अपकार है अर्थात Legal wrong है जिसके उपचार के रूप में राज्य आरोपी को दंडित करता है।" इन सबके अलावा बहुत सरल शब्दों में रसैल का अपराध से तात्पर्य है कि "समाज की सुख शांति को नुकसान पहुंचाना ही अपराध है।" जो कि भारतीय समाज के संदर्भ में स्पष्ट बैठती है, क्योंकि यहाँ दिन–प्रतिदिन

ऐसा ही किया जाता है। जिस पर कई बार प्रशासन शासन ध्यान देता है या फिर सोया रहता है। अतः भारत के संदर्भ में समाज से जोड़कर सामाजिक अपराध को जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार समाज के एक विशेष वर्ग, जिसे भारतीय समाज में दलित कहा जाता है, के विरुद्ध अपराध किया जाता है यह कितना आसान है इसको कैसे सामाजिक समर्थन प्राप्त हो जाता है?

दलितों के विरुद्ध सामाजिक अपराध का इतिहास

भारत में दलितों के ऊपर सामाजिक अपराध का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत "मनुस्मृति" के साथ हुई थी। मनुस्मृति को तब "धर्म विधान" या "दंडविधान" माना गया था, जिसमें चार वर्णों का उल्लेख उनके कर्तव्यों के सहित किया गया था। इसका प्रयोग ब्राह्मणवादियों व जातिवादियो ने अपने स्वार्थ हेतु किया व भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें कभी अछूत, कभी मलेच्छ, तो कभी दलित कहा गया, पर कभी इंसान नहीं माना गया। अपितु यह इतिहास धीरे–धीरे बदला और शूद्रों के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले महान चिंतक भी सामाजिक धरातल पर आए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक सत्यशोधक समाज की संस्थापक करते हैं स्त्री शिक्षा पर काम करते हैं वह "गुलामगिरी" जैसे साहित्य की रचना करते हैं, जिससे कि शूद्रों को उनके शोषण का आभास हो वह उच्च वर्णों व जातियों के साहित्य का पालन करना छोड़ दें जो उन्हें गुलाम बनाकर ही रखते थे।

स्वाधीनता आंदोलन में जहाँ सभी भारत की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। वही भगत सिंह अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण सभी भारतोयों की संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। वह चाहते थे कि दलितों को भी स्वतंत्रता मिले उनके साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाए। वह उनके लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दृष्टिकोण रखते थे। इसीलिए वह "अछूत की समस्या" की बात करते थे। वह मानते थे कि सर्वप्रथम अछूत कहना छोड़ना चाहिए और यदि धर्म अछूतों को समानता नहीं दे सकता तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। वह उनका आह्वान करते हुए लिखते हैं कि "तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा क्योंकि तुम्हारे दम पर ही शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह बहुत महान बने।" भगत सिंह अछूतों की तुलना बेबे यानी माँ से करते हैं, क्योंकि वह मानते हैं की जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु का मैला साफ करती है उसी प्रकार शोषितों ने पूरे भारतीय समाज का मैला साफ किया है। वे उन्हें इस गंदे कार्य से स्वतंत्रता भी दिलाना चाहते थे। दक्षिण भारत में ई वी रामास्वामी पेरियार ने दलितों के लिए "आत्मसम्मान" आंदोलन चलाया वह दलितों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध

थे वह चाहते थे कि दलितों को भी अन्यों की तरह मानव समझा जाए उनके साथ पशुओं से भी कृष्ठ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए अपने जीवन भर दलितों को आत्म सम्मान दिलाने के एक महान कार्य में जुटे रहे।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपना सारा जीवन दलितों के उत्थान में लगा दिया। वह दलितों को एक सम्मान पूर्ण जीवन देना चाहते थे इसलिए उन्हें वह शक्ति देना चाहते थे जिसका प्रयोग अन्य उच्च जातियां कर रही थी। उन्होंने मनुस्मृति की परंपरा को समाप्त करने का अहम कदम उठाया अपने लेखों, कार्यों और आंदोलनों से दलितों को एकत्रित किया। उन्होंने दलितों का आह्वान करते हुए यह नारा दिया कि "शिक्षित बनो, एकजुट हो और संघर्ष करो" जिसका पालन उन्होंने स्वयं सबसे अधिक किया। यह उन्हीं के अथक प्रयास थे, कि वह संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और संविधान के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत में मनुस्मृति का शासन समाप्त हो और संविधान के द्वारा "विधि का शासन" प्रारंभ हो। उनकी अध्यक्षता में संविधान में विभिन्न ऐसे प्रावधान किए गए जो छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिगत हिंसा व भेदभाव को खत्म करें।

एक ओर इन सभी नायकों के कार्यों ने भारत में जातिवाद जैसे गंभीर सामाजिक अपराध को समाप्त करने का प्रयास किया व संविधान के बाद संवैधानिक प्रावधानों भी दलितों के प्रति सामाजिक अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाई। किंतु अब अहम विषय यह जाँचना है कि सभी असंवैधानिक नियमों को समाप्त कर संविधान द्वारा विधि के शासन दलितों के विरुद्ध सामाजिक अपराध होते हैं या नहीं? यदि देखा जाए तो इसका उत्तर नकारात्मक ही निकलता है, क्योंकि भारत में संविधानवादियों से भी अधिक मनुवादी, जातिवादी हैं जो विधि के शासन को नकार कर मनुस्मृति के शासन को मानते हैं। वह समाज में सभी लोगों को समान नहीं मानते उनके लिए आज भी वर्ण, जाति, गोत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वह आज भी दलितों व पिछड़ों के विरुद्ध सामाजिक अपराध करते रहते हैं। उनके मन में आज भी दलितों और पिछड़ों क विरुद्ध द्वेष, घृणा है। उन्हें जब भी अवसर मिलता है तो वह दलितों को फिर से वही मनु की व्यवस्था का शिकार बना देते हैं। उनके लिए यह दलितों को सबक सिखाने जैसा है, क्योंकि इन संकुचित मानवों को लगता है कि दलितों का स्थान वही है, जो मनुस्मृति में वर्णित है। इसलिए आज भी दलितों को सबक सिखाने के लिए उनकी ओर से कुछ उदाहरण पेश किए गए हैं। मेरठ में दलित युवक को गोली मारकर फिर मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटा जाता है, जिससे उसके अंग छिन्न–भिन्न हो जाते हैं। बदायूँ में दलित लड़कियों का बलात्कार कर उन्हें मार कर

उनकी लाशों को पेड़ से टांग दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 दलित औरतों को चुड़ैल घोषित किया गया उन्हें टकला किया गया उन्हें जबरन पेशाब पिलाया गया और आधा नग्न करके पूरे गांव में घुमाया गया । ना जाने ऐसे कितने ही उदाहरण और मिलेंगे ? इस सबसे यह अहम प्रश्न निकल कर आता है कि उन जातिवादियों को ऐसा करने के लिए क्या उन्हें किसी का समर्थन प्राप्त है? और इन सभी कृत्यों के प्रति प्रशासनिक व राजनीतिक भूमिका क्या रही? क्या प्रशासन और राजनीति भी जातिगत हिंसा, या अपराध के लिए अवसर प्रदान करती है?

दलितों के प्रति सामाजिक अपराध में प्रशासनिक और राजनीतिक पहल

जब दलितों के प्रति सामाजिक अपराध में प्रशासन और राजनीति की भूमिका को ध्यान से देखा जाता है, तो यह भूमिका दलितों के बचाव में बहुत ही नगण्य मालूम होती है। इसीलिए अब तक मनुवादी जातिवादी तत्व मानवतावादी पक्ष पर हावी रहे हैं। समकालीन दौर में दलितों के ऊपर जातिगत अपराध या हिंसा करना बहुत सरल दिखाई देता है। विशेषकर से उन लोगों के लिए जिनका प्रशासन या राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। यही कारण ऐसे लोगों के लिए दलितों के प्रति सामाजिक अपराध करने का अवसर खोल देता है। अब तो दलितों की स्थिति और भी चिंतनीय है क्योंकि प्रशासन और राजनीति की भूमिका भी उनके विरुद्ध हो चुकी है अब ना केवल समाज जातिवादी है अपितु ऐसे ही समाज की उपस्थिति प्रशासन और राजनीति में भी दिखाई देती है। इससे दलितों के ऊपर जातिगत हिंसा पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि अब प्रशासन और राजनीति भी इसमें सम्मिलित है। इसलिए इसके विरोध में कुछ भी कर पाना अब अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसे ही कुछ उदाहरण वर्तमान में कुछ घटनाओं से मिलता है ।

जैसे मई, 2014 मं उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो दलित बहनों को मार कर पेड़ पर लटका दिया गया उनकी हत्या से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया था जिसमें 2 पुलिस कॉन्स्टेबल भी सम्मिलित थे। जून 2017 में उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में 17 वर्ष की दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया जिसका आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था। इसने देखते ही देखते पीड़िता के पूरे परिवार और वकील को षडयंत्र रच कर खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक गांव के सरपंच ने एक दलित व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ इसलिए गाली गलौज और मारपीट की क्योंकि क्योंकि वह उसके घर के सामने से निम्न जाति का होते हुए भी मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था। यदि हाल ही की कोरोना त्रासदी के दौरान की

बात करें तो दलितों के ऊपर सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में एक दलित दंपत्ति को पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना अधिक प्रताड़ित किया गया कि वह कीटनाशक पीने के लिए विवश हो गए। उन्हें मारपीट कर उनके द्वारा खेती की गई जमीन पर से बेदखल कर दिया गया।

कर्नाटक के एक जिले में एक 28 वर्षीय दलित व्यक्ति की पिटाई की गई क्योंकि उसने उच्च जाति के व्यक्ति की मोटरसाइकिल को छू लिया था। बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पर कोविड–19 आइसोलेशन केंद्रों में लोगों ने खाना इसलिए फेंक दिया, क्योंकि वह खाना दलितों के द्वारा बनाया गया था। दलित वर्ग से ही दलितों के लिए आवाज उठाने वाले अरविन्द बंसाड़ की लाश नागपुर में गंभीर हालत में मिली उनके साथ **NCP** के दफ्तर वालों ने मारपीट की थी पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और उसे आत्महत्या घोषित करार दिया। हाल ही का हाथरस बलात्कार केस उल्लेखनीय है, जिसमे दलित युवती से चार उच्चजाति के लोगों ने बलात्कार किया और इतनी बेरहमी से की दो हफ्तों तक वह जिन्दगी और मौत के बीच लड़ती रही।

अंत में उसकी मौत के बाद उसके शव को बिना उसके परिवार कस सहमति और सम्मिलन के ही पुलिस प्रशासन ने आधी रात के बाद चोरी से जला दिया। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट दिखाई देता है कि कभी कभी राजनीतिक तत्वों के द्वारा तो कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दलितों के ऊपर सामाजिक अपराध किया जा रहा है। जिसको अब वैधानिक क्रिया से रोकना अधिक कठिन है। ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, यदि इंडियाटाइम्स की माने तो लॉकडाउन में जातिगत अपराध या जातिगत हिंसा 5 गुना तक बढ़ गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक अपराध होता है, हर दिन 6 दलित औरतों का बलात्कार किया जाता है, 56000 दलित बच्चे झुग्गियों में कुपोषण से मर जाते हैं और हर साल 1000 दलितों को जातिगत हिंसा में मार दिया जाता है।

यदि भविष्य में ऐसे सामाजिक अपराध की घटनाएं ना रोकी गईं या बढ़ती गई और प्रशासन व शासन अपराधी तत्वों का ऐसे ही समर्थन करते गया तो आगे एक बहुत बड़ा सामाजिक विस्फोट के होने की साफ उम्मीद नजर आती है, जिससे पूरे समाज की सुख शांति भंग हो जाएगी।

♦♦♦♦♦

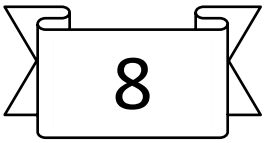

अनैतिक मूल्यों की राजनीतिः एक प्रारूप

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकतांत्रिक राजनीतिक में नैतिकता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उचित तथा अनुचित के मध्य का विभाजन निर्धारित करना तथा सामाजिक अव्यवस्था के प्रतिरूप का समावेशी प्रतिबंधित करता है। नैतिकता की व्यापकता से राजनीतिक स्तर पर शासकों के नीति निर्माण में उचित समानता तथा अनुचित गतिविधियों में कमी लाई जा सकती है। भारतीय राजनीति में असामाजिक गतिविधियों का समावेश चुनावों के दौरान एक गंभीर विषय है जिसे आधार बनाकर राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। इस विषय में प्रत्याशियों के द्वारा अनुचित बल तथा धन का प्रयोग लोकतांत्रिक सद्भावना को आघात पहुंचाता है। वर्तमान समय में यह विषय सामाजिक मूल्यों को आघात पहुचाते हुए राजनीतिक अवसर प्राप्त करने का एक मार्ग बन गया है।

राजनीति का अपराधीकरण एक गहन समस्या है जिसके आधार पर भारतीय राजनीति का व्यवहारिक स्तर इसके प्रति लोगो के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार के अपराधीकरण में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक प्रकार का अपराधीकरण सम्मिलित है जिसके आधार पर राजनीतिक प्रत्याशी अपराधिक आधार के साथ चुनाव लड़ने, मतदाताओं का लामबंदीकरण करने हेतु बहुबल का प्रयोग, राजनीतिक घोटाले, नौकरशाही घोटाले, राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधिक सदस्यों को सुरक्षा देना आदि सम्मिलित है।

चुनावों के अंतर्गत जाति तथा धर्म के आधार पर आरोप प्रत्यारोप बहुत ही साधारण तथा सामान्य बात बन गई है जिसके विरुद्ध सामाजिक जागरूकता की अल्पता होने के कारण अधिकतर असामाजिक तत्वों का प्रयोग करके अपनी प्रभाविकता को प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार के व्यवहार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से छुपाना इसके प्रति लोकतांत्रिक मूल्यों का गलत प्रयोग करना है। किंतु इस प्रकार के व्यवहार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाना इसे अलोकतांत्रिक नही बनाता है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह संवैधानिक मूल्यों के आधार पर उचित

ठहराया जाता रहा है। शक्ति अर्जन का यह एक माग अधिकतर सत्ता में सम्मिलित तथा इसकी इच्छा रखने वालो के लिए एक साधन की तरह से प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक अपराधीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

राजनीति के अपराधीकरण से न केवल राजनीतिज्ञों का राजनीतिकरण करने से प्रशासनिक दबाव बनता है जिससे कि जनता के हितों पर नकारात्मक प्रभाव इसके अलोकतांत्रिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है अपितु इस प्रकार की अवसरवादिता को बढ़ाते हुए अनेक संगठन महत्वपूर्ण बन जाते है जो इस निरंतर बढ़ावा देते है। इसमें अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस नियंत्रण की कमी, राज्य के धन पर इनका नियंत्रण, भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, विशेष शक्तियों का दुरूपयोग, राजनीतिक दलों की गतिविधियों में पारदर्शिता की कमी, नैतिक सिद्धांतो की कमी, वोट बैंक की प्राप्ति हेतु लालसा, चुनाव आयोग के नियंत्रण में कमी, संचार माध्यमों पर धन का प्रभाव तथा सबसे प्रमुख जनता का अल्पशिक्षित होना मुख्य कारक है जिनके कारण इस प्रकार की प्रवृतियों में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर सामाजिक समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा इनके राजनीति में समावेश से इनका निजी लाभ हेतु पुलिस पर नियंत्रण करने से क़ानूनी दुरूपयोग लोकतांत्रिक शासन में कानून के शासन को प्रभावी रूप से प्रभावित करती है जिससे कुछ समूहों का नियंत्रण एक अहम समस्या बन जाती है। सार्वजनिक संसाधनों का दुरूपयोग इस संबंध में जमात का आक्रोश उत्पन्न करता है जिससे कि इस प्रकार की गैर क़ानूनी गतिविधियों को राजनीतिज्ञो का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपराधिक प्रवृतियां वर्तमान समय में अनेक सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करने लगी है जिसके प्रभाव स्वरूप ही इनके प्रति न केवल चुनाव आयोग अपितु स्वयं न्यायपालिका ने भी लोकतंत्र के प्रति आघात मानते हुए विशेष कदम उठाये हैं।

भारतीय राजनीति में अपराधिक प्रवृतियों के प्रभाव तथा समाधान

इस प्रकार की गतिविधियों में अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में अधिक भागीदारी करते है जिसके कारण राजनीतिक स्तर पर इस प्रकार के वाद–विवाद बढ़ने की संभावनाएं अधिक हा जाती हैं। जिसमे धन तथा शक्ति की भूमिका मुख्य है जिसके द्वारा इनका अपने राजनीतिक पद पर बने रहते हुए इस प्रकार कि संवेदनशील गतिविधियों में संलिप्त होना सरल हो जाता है। राजनीतिक दलों के प्रचार–प्रसार के दौरान इस प्रकार की गतिविधयां

अधिक बढ़ भी जाती है क्योंकि जन लुभावन का यह एक मार्ग प्रत्याशियों के द्वारा अपनाया जाता है जिससे कि किसी विशेष पंथ तथा जाति के हितों का समर्थन कर यह राजनीतिक लाभ उठाने में सफल हो जाते है। इस प्रकार के व्यवहार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इन उम्मीदवारों को टिकट देना भी एक कारक है जिसके आधार पर इन्हें राजनीतिक अवसर सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। मतदाताओं द्वारा इन्हें अधिक संख्या में मत देने के कारण भी राजनीतिक दल इन्हें निरंतर टिकट देने से पीछे नही हटते हैं।

राजनीतिक व्यवहार में मतदाता द्वारा इनका चयन भी राजनीतिक दलों को इन्हें अधिक टिकट देने हेतु एक प्रेरणा की तरह है क्योंकि मतदाता इन्हें नकारते नही अपितु अधिक संख्या में चुनते है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु चुनाव आयोग की याचिका पर राजनीतिक दलों को निर्देशित करते हुए हिदायत दी है कि यह आपराधिक प्रवृति के उम्मीदवारों को अवसर न दें जिसका आधार संपूर्ण संसद में कुल 46 प्रतिशत सदस्यों पर अपराध के केस लगे होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण बन गया परंतु समस्या लोकसभा में अधिक गंभीर है जिसके अनुसार 2014 में 34 प्रतिशत लोकसभा सदस्य अपराधी प्रवृति के रहे है जिसमे से 21 प्रतिशत गंभीर केसों में संलिप्त थे तथा यह पिछले सभी आंकड़ो में सर्वाधिक है।

इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विधायकों पर लगने वाले वैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों को समाप्त किया गया । जिसमे कहा गया कि 2013 से 2014 के मध्य में इनके प्रति लगे सभी परीक्षणों को जल्द से जल्द समाप्त करे। 2017 में केंद्र सरकार को इन राजनीतिज्ञों के खिलाफ चल रहे केसों को सुलझाने हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का निर्देश दिया गया। किंतु इसके परिणाम अधिक प्रभावी नही हुए क्योंकि 2019 के चुनाव में भागीदारी करने वाले प्रत्येक पांच में से एक प्रत्याशी किसी न किसी गंभीर अपराध में संलग्न था।

इस विषय में कदम आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2020 में राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि इनके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा दोनों स्तर के चुनावों हेतु अपने प्रत्याशियों के अपराध संबंधी इतिहास की व्याख्या स्पष्ट रूप से करे। यद्यपि अधिकतर इन दलों के राजनीतिक लाभ प्राप्ति ने इस विषय की वैधता को कम प्रासंगिक बना दिया क्योंकि किसी भी दल के लिए चुनाव जीत की प्राथमिकता के समक्ष यह कारक अधिक प्रभावी नही है क्योंकि यह

प्रत्याशी ही अधिक से अधिक स्थानीय हितो के प्रदर्शक के रूप में अपनी छवि के आधार पर अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल होते हैं। परंतु इनकी राजनीति में क्रियाशील भागीदारी होने से यह मतदाताओं के हितों को पूर्ण करने की तुलना में उनके लिए अधिक नुकसानदायक हो सकता है जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनमत के हितों को गौण रखा जाता है जिसका समाधान करना वर्तमान समय की मांग बन गई है।

जिस देश में राजनीतिक अभिजनों के द्वारा स्वयं इस प्रकार के नैतिक मूल्यों को बनाये रखा जाता है वहां स्वायत्तता का न्यायोचित आधार बनाये रखना सरल हो जाता है। भारतीय राजनीति में यह विषय मुख्यतः इसके प्रति जनता कि असंवेदनशीलता से अधिक राजनीतिक दलों के चुनावी लाभ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है जिसके आधार पर इस प्रवृति के लोग अधिकतर राजनीति में प्रवेश सरलता से अपनी लोकप्रियता के आधार पर प्राप्त कर लेते है। जिसको समाप्त करने के लिए दलों द्वारा स्वयं इनकी जाँच पड़ताल हेतु आवश्यक कदम उठाने होगे एवं केवल यही नही दलों को अपने खातो का भी समय–समय पर उचित ब्यौरा स्पष्ट रूप से प्रदान करना होगा जिससे कि इस प्रकार के राजनीतिक लाभों के लिए इन्हें कोई आकर्षित नही कर सके। साथ ही जातिगत, धर्म तथा भाषायी आधार पर जिस प्रकार वोट बैंक के रूप में जनता का प्रयोग किया जाता है उसकी समाप्ति हेतु भी चुनाव के अंतर्गत नेताओं द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007